न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 133/2024
निर्णय दिनांक – 30/01/25
GCMS No. – 267/2024

मुकेश पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 30, कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
.........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
...............**प्रतिवादी**

2. विश्वजीतसिंह कस्वां पुत्र विरेन्द्र कुमार कस्वां जाति जाट (कस्वां) निवासी ग्राम ढाकावाली तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. आर्य डायमंड लैंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर विरेन्द्र कस्वां पुत्र रामलाल कस्वां जाति जाट (कस्वां) निवासी ग्राम ढाकावाली तहसील सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
4. हणमानाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
.... **गौण–प्रतिवादीगण**

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिशु एडवोकेट व श्री ओमप्रकाश घोटिया अधिवक्ता वादी
2. श्री सुभाष डूडी एडवोकेट अधिक्वता सुजानगढ़
3. पेरोकार राज नायब तहसीलदार सुजानगढ़

राजस्व वाद राजस्व एक्स में संशोधन

–:निर्णय:–

वादी के द्वारा दावा पेश कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया। वादी व गौण–प्रतिवादीगण संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 201 तादादी 0.8851 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान में स्थित है, जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा व गौण–प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है, जो उक्त खाते के खातेदार कृषक है। ग्राम सालासर से ग्राम खारिया बड़ा का कटाणी रास्ता राजस्व एक्स में खसरा नम्बर 888/202, खसरा नम्बर 201, खसरा नम्बर 2237/200 के पश्चिमी सींव के पास–पास एवं खसरा नम्बर 2601/2228, खसरा नम्बर 96 एवं खसरा नम्बर 97 के पूर्वी सींव के पास–पास दर्शाया गया है। उक्त रास्ता से गत 70–75 वर्षो से कभी भी आवागमन नहीं हुआ और ना ही वर्तमान में आवागमन हो रहा है। ग्राम सालासर से ग्राम खारिया बड़ा का कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2617/145 दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्ग A, B, C, D स्थल का राजस्व एक्स में राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से दर्शाया है। ग्राम सालासर से ग्राम खारिया बड़ा का आवागमन का रास्ता खेत खसरा नम्बर 2601/2228, खसरा नम्बर 96 एवं खसरा नम्बर 97 (सितानवे) की पश्चिमी सींव के पास–पास एवं खेत खसरा नम्बर 2601/2228, खसरा नम्बर 96 एवं खसरा नम्बर 97 की भूमि में से यानि पूर्वी सींव के पास–पास जो दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शित

लगातार..............2 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

मौजूद है, जिसमें मनरेगा योजना के तहत ग्रेवल सडक बनी हुई है। ग्राम सालासर से ग्राम खारिया बड़ा का कटाणी रास्ता राजस्व एक्स में खसरा नम्बर 888 / 202, खसरा नम्बर 201, खसरा नम्बर 2237 / 200 के पश्चिमी सींव के पास–पास एवं खसरा नम्बर 2601 / 2228, खसरा नम्बर 96 एवं खसरा नम्बर 97 के पूर्वी सींव के पास जो नजरी नक्शा में मार्क A, B, C, D से दर्शाया गया। रास्ता राजस्व एक्स में राजस्व कर्मचारियों गलत दर्शाया है, जबकि ग्राम सालासर से ग्राम खारिया बड़ा में आवागमन का रास्ता नजरी नक्शा में मार्क E, F, G, H मौजूद है। घोषित किया जावे कि ग्राम सालासर से ग्राम खारिया बड़ा का कटाणी रास्ता राजस्व एक्स में नजरी नक्शा में मार्क A, B, C, D से दर्शाया गया, जो रास्ता गलत दर्शाया है। उक्त रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है, ना ही उक्त रास्ता से आवागमन हो रहा है। ग्राम सालासर से ग्राम खारिया बड़ा का कटाणी रास्ता राजस्व एक्स में नजरी नक्शा में मार्क A, B, C, D से दर्शाया गया का संशोधन कर ग्राम सालासर से ग्राम खारिया बड़ा का रास्ता नजरी नक्शा में मार्क E, F, G, H से दर्शाया गया, को राजस्व एक्स में अंकन किया जाकर वर्तमान राजस्व एक्स में संशोधन फरमाया जावे। वादी ने प्रतिवादी से उनके कार्यालय में जाकर दिनांक 20.12.2024 को सम्पर्क किया व रास्ता संशोधन का निवेदन किया। संशोधन नहीं करने से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। अनुतोष में वादी ने अपना दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। गौण–प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से सुभाष डूडी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सुजानगढ़ से वादगत रास्ते की रिपोर्ट ली गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.01.2025 प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार कटाणी रास्ता रोही ग्राम सालासर के नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 2604 / 889, 888 / 202, 201 व 2237 / 200 के पश्चिमी तरफ व खसरा नमबर 2601 / 2228 व 97 के पूर्वी तरफ के मध्य से सम्वत् 2002 से अब तक राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज चला आ रहा है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2617 / 145 रकबा 0.6441 हैक्टेयर है। यह रास्ता सालासर से खारिया बड़ा को जाता है। इस कटाणी रास्ता का उपयोग उल्लेखित खसरो में न होकर अन्य जगह हो रहा है। रास्ता खसरा नम्बर 2601 / 2228, 96 व 97 की पश्चिमी सींवे के सहारे–सहारे बना हुआ है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के तहत ग्रेवल सड़क बनाकर रास्ता बनाया हुआ है, इसी ग्रेवल सड़क से आवागमन हो रहा है।

प्रस्तावित शुद्धि हेतु रास्ते का खसरा वार क्षेत्रफल निम्नानुसार है:–

कटाणी रास्ता (जो खातेदारी में जोड़ा जायेगा) का खसरावार क्षेत्रफल

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	रास्ते का रकबा (हैक्टेयर)
2617 / 145	0.6461	0.0193
2617 / 145	0.6461	0.0552
2617 / 145	0.6461	0.0448

लगातार..............3 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

	योग	0.1193

प्रस्तावित रास्ता (जो खातेदारी में कम किया जायेगा) का खसरावार क्षेत्रफल

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	रास्ते का रकबा (हैक्टेयर)	शेष रकबा (हैक्टेयर)
2601/2228	0.0884	0.0193	0.0691
96	0.2529	0.0552	0.1977
97	0.0555	0.0448	0.0107
	योग	0.1193 हैक्टेयर	

गौण–प्रतिवादीगण की ओर से ईकबाल जवाब पेश किया गया। गौण–प्रतिवादीगण ने ग्राम सालासर से ग्राम खारियबड़ा जाने वाले कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 2601/2228, 96, 97 रोही सालासर के पश्चिमी सींवें के पास–पास है, जहां पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। उक्त रास्ते की जगह कटाणी रास्ता का एक्स में अंकन करने का निवेदन किया। गौण–प्रतिवादीगण ने वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी ने वाद के समर्थन में पीब्डल्यू–1 वादी स्वयं ने साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये व वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में रास्ता खसरा नम्बर 2601/2228, 96 व 97 की पश्चिमी सींवे के सहारे–सहारे बना हुआ है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के तहत ग्रेवल सड़क बनाकर रास्ता बनाया हुआ है, इसी ग्रेवल सड़क से आवागमन हो रहा है। वादी ने भी साक्ष्य में इसी बात की ताईद की है व सरकार द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान रास्ते पर ही ग्रेवल सड़क बनाई है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ता ही पुराने समय से रास्ता होना प्रतीत होता है। खेत खसरा नम्बर 2617/145 गैरमुमकिन रास्ते का राजस्व रेकार्ड एक्स (नक्शा) में दुरूस्त खसरा नम्बर 2601/2228, 96 व 97 की पश्चिमी सींव के पास–पास नक्शे में दर्शाया जाना उचित प्रतीत होने से वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है वादगत खेत खसरा नम्बर 2601/2228, 96 व 97 रोही सालासर में वादगत के साथ संलग्न नजरिया नक्शा में दर्शित मार्ग A, B, C, D स्थल पर दर्शित खसरा नम्बर 2617/145 रोही सालासर के राजस्व एक्स का अंकन संलग्न नजरिया नक्शा में दर्शित मार्क E, F, G, H जो खसरा नम्बर 2601/2228, 96 व 97 रोही सालासर की पश्चिमी सींव के पास–पास अंकित किया जावे। खसरा नम्बर 2617/145 का संलग्न नजरिया नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D स्थल की भूमि खसरा नम्बर 2601/2228, 96 व 97 रोही सालासर में शामिल करते हुवे नक्शे का विस्तार किया जावे। खेत खसरा नम्बर 2617/145 गै.मु. रास्ता रोही सालासर व खेत खसरा नम्बर 2601/2228, 96 व 97 रोही सालासर में भूमि निम्न सारणी के अनुसार दर्ज करें। उक्तानुनसार राजस्व एक्स में संशोधन करे :–

कटाणी रास्ता (जो खातेदारी में जोड़ा जायेगा) का खसरावार क्षेत्रफल लगातार..............4 पर

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	रास्ते का रकबा (हैक्टेयर)
2617 / 145	0.6461	0.0193
2617 / 145	0.6461	0.0552
2617 / 145	0.6461	0.0448
	योग	**0.1193**

प्रस्तावित रास्ता (जो खातेदारी में कम किया जायेगा) का खसरावार क्षेत्रफल

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	रास्ते का रकबा (हैक्टेयर)	शेष रकबा (हैक्टेयर)
2601 / 2228	0.0884	0.0193	0.0691
96	0.2529	0.0552	0.1977
97	0.0555	0.0448	0.0107
	योग	**0.1193 हैक्टेयर**	

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार निर्णय व डिक्री पालना करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ...30/01/25... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ जिला

5

डिकरी व मुकदमेहरकदाई

([illegible])

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़
अजलास श्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

मुकेश बनाम सरकार आदि

राजस्व वाद राजस्व एक्स में संशोधन

मुकदमा नं0 133 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु ....

..............हाजरी श्री मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट, मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार साथ मिनजानिबमुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है वादगत खेत खसरा नम्बर 2601 / 2228, 96 व 97 रोही सालासर में वादगत के साथ संलग्न नजरिया नक्शा में दर्शित मार्ग A, B, C, D स्थल पर दर्शित खसरा नम्बर 2617 / 145 रोही सालासर के राजस्व एक्स का अंकन संलग्न नजरिया नक्शा में दर्शित मार्क E, F, G, H जो खसरा नम्बर 2601 / 2228, 96 व 97 रोही सालासर की पश्चिमी सींव के पास-पास अंकित किया जावे। खसरा नम्बर 2617 / 145 का संलग्न नजरिया नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D स्थल की भूमि खसरा नम्बर 2601 / 2228, 96 व 97 रोही सालासर में शामिल करते हुवे नक्शे का विस्तार किया जावे। खेत खसरा नम्बर 2617 / 145 गै.मु. रास्ता रोही सालासर व खेत खसरा नम्बर 2601 / 2228, 96 व 97 रोही सालासर में भूमि निम्न सारणी के अनुसार दर्ज करें। उक्तानुनसार राजस्व एक्स में संशोधन करे :-

कटाणी रास्ता (जो खातेदारी में जोडा जायेगा) का खसरावार क्षेत्रफल

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	रास्ते का रकबा (हैक्टेयर)
2617 / 145	0.6461	0.0193
2617 / 145	0.6461	0.0552
2617 / 145	0.6461	0.0448
	योग	**0.1193**

प्रस्तावित रास्ता (जो खातेदारी में कम किया जायेगा) का खसरावार क्षेत्रफल

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	रास्ते का रकबा (हैक्टेयर)	शेष रकबा (हैक्टेयर)
2601 / 2228	0.0884	0.0193	0.0691
96	0.2529	0.0552	0.1977
97	0.0555	0.0448	0.0107
	योग	**0.1193 हैक्टेयर**	

प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार निर्णय व डिक्री पालना करें।

चीज.................................... मुवलिग .... बाबत ....

..................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमावी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 01 2025

मुहर उपखण्ड अधिकारी

दस्तखत ....

ओहदा उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़......